	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

आषाढ़ 23, गुरुवार, शाके 1938–जुलाई 14, 2016
Asadha 23, Thursday, Saka 1938–July 14, 2016

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2016

जी.एस.आर.30 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 16 का संशोधन.**– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, के नियम 16 में,–

(i) उप–नियम (1) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप–नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषयवस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पांच लाख रुपये से कम हो किन्तु यह किसी वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा किया जायेगा।"

[संख्या F.1(8)वित्त/सविलोनि/2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव,

वित्त (बजट) विभाग।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 14, 2016

G.S.R.30 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 16.- In rule 16 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end of sub-rule (1), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (1), so amended, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that a Panchayati Raj Institution or its committee may adopt the method of limited bidding if the estimated cost or value of the subject matter is less than Rupees five lakh on one occasion but it shall not exceed Rupees fifty lakh in a financial year:

Provided further that procurement shall be made by the Panchayati Raj Institution or its committee in accordance with the guidelines issued by the Rural Development and Panchayati Raj Department."

[No. F.1(8)वित्त/सविलोनि/2011]

By Order of the Governor,

Naveen Mahajan,

Secretary to the Government,

Finance (Budget) Department.

Government Central Press, Jaipur.